web copy

श्रीमान् न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू
पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या–2018/00072 दायर दिनांक 16.07.2018
–सायल–
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू
बनाम
मोहम्मद आफताब पुत्र रूस्तम अली, मैसर्स– नेशनल बिग बाजार, सब्जी मंडी, सरदारशहर जिला चूरू। स्थाई पता– चौधरियों का कुआं वार्ड नं. 35 सरदारशहर जिला चूरू। –गैरसायल–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011
उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।

दिनांक 27.08.2018

निर्णय

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2018 को 03:50 पी.एम. पर मै0 नेशनल बिग बाजार, सब्जी मंडी सरदारशहर पर पंहुचा। वहां पर श्री मोहम्मद आफताब मालिक की हैसियत से पाया गया। दुकान में एक लोहे की रेंक में 250 ग्राम की 20 सील बन्द थैलिया धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ बेचने हेतु पाई गई मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ में मिलावट का शंका होने पर धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ की 250 ग्राम की 8 सील बन्द थैली वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री मोहम्मद आफताब को 280/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री जितेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह को पढाकर एवं समझाकर एवं सुनाकर हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता मोहम्मद आफताब को देकर रसीद प्राप्त की फार्म नम्बर 5ए की रिपोट न्यायनिर्णयान आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ के 08 थैलियो को 04 जारो में बराबर अलग–अलग डालकर जारो के ढक्कन बन्द करके नमूने के चार भाग बनाये। चारो भागो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1767 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर अन्य विवरण खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

web copy

स्थान, अंकित किये लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1767 नियमानुसार चारों नमूनों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाह के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिपोर्ट बनाकर व्यापारी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं मैने हस्ताक्षर किये। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है जिसके द्वारा मैने नमूना सील किया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर फार्म न. 6 की एक प्रति के साथ नमूने का एक भाग आवट कवर में सील चपडी कर मुख्य विशलेष्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या एवं दिनांक डालकर एवं मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना दो प्रतियों के आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूनो का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पत्र अग्रेसन क्रमांक–70 दिनांक 28.03.2018 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विश्लेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस./235/एक्ट/2018/330 दिनांक 07.03.2018 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/211 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह कि उक्त प्रकरण में मोहम्मद आफताब ने मिसब्राण्डेड, धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस दिनांक 21.08.18 तलब किया गया। गैरसायल ने दिनांक 21.08.2018 को स्वयं उपस्थित होकर जरिये अपने भाई जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ मिश्रित धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ का सेम्पल नं. एल–1767 रिपोर्ट संख्या एल.एस./235/एक्ट/2018/330 दिनांक 07.03.2018 के अनुसार पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ की एकपक्षीय बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। चूंकि गैरसायल द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड,

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

web copy

धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ की सेम्पल नं. एल–1767 रिपोर्ट संख्या एल.एस. 2018/00072 / 235 / एक्ट / 2018 / 330 दिनांक 07.03.2018 से मिसब्राण्ड (Under Section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act, 2006 contravene regulation 2.2.2(8), 2.2.2(9), 2.2.2(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 होना पाया गया है। इस प्रकार गैरसायल के द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ विक्रय का कारोबार करना परिवाद से साबित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में गैरसायल को मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर ब्राण्ड नाईस हैल्थ बेचने के कारण एवं उक्त कृत्य प्रथम बार होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत गैरसायल मोहम्मद आफताब पुत्र रूस्तम अली, मैसर्स– नेशनल बिग बाजार, सब्जी मंडी, सरदारशहर जिला चूरू। स्थाई पता– चौधरियों का कुआं वार्ड नं. 35 सरदारशहर जिला चूरू को 25,000 रूपये (पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा गैरसायल को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में पुनः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन नहीं करें। गैरसायल उक्त राशि 15 दिवस के अन्दर अन्दर जरिये चालान बैंक में राज्य सरकार के बजट हैड–0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियॉं, (03)– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा कराकर चालान की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को देवे अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि गैरसायल द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने पर गैरसायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
चूरू